न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 94 सन् 2018

सुदामा राय..........वादी

बनाम

लक्ष्मण राय व अन्य ....प्रतिवादीगण

दिनांक– 16.03.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 1 के वारिसानों की ओर से दाखिल आवेदन आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 04.01.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 1 के वारिसानों आवेदकगण के द्वारा आवेदन दाखिल कर उनका कथन है कि प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण पर बंटवारा हेतु दायर किया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 1 लक्ष्मण राय न्यायालय में दिनांक 10.02.2020 को उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 1 को प्रस्तुत वाद की जानकारी सही समय पर नहीं हुई। जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई का आदेश पारित किया है। प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु दिनांक 27.07.2020 को हो गई। जिसकी जानकारी उनके उत्तराधिकारी द्वारा न्यायालय को मौखिक रूप से दे दी गई। प्रतिवादी सं0 1 लक्ष्मण राय का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम जोड़ दिया जाए।

वादी की ओर से नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है। वादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। वादी एवं आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद में लक्ष्मण राय प्रतिवादी सं0 1 थे। जिनकी मृत्यु के संबंध में यह आवेदन

उनके वारिसानों के द्वारा दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण का प्रतिवादी सं0 1 के स्थान पर पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.01. 2021 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 06.04.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।